अपील सूचना अधिकार संख्या 81/2022(GCMS 2022/291)(आरटीआई नं. 212065590202816) विनयदीप सिंह पुत्र स्व. श्री अश्वनी कुमार निवासी 179–बी नई विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 77920–[illegible]0) बनाम प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगनर से टिप्पणी प्राप्त हुई, शामिल मिसल की गई। **अपीलार्थी** विनयदीप सिंह ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि उसने **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना दिलवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विनयदीप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. Grievance registration number (issued on state level) and acknowledgement letter issued by the Deputy Secretary regarding the above mentioned grievance.
2. Orders issued by the aforesaid authority in his purview to investigate the mentioned grievance.
3. Reports of the investigation carried out by the Deputy Secretary in regard to the mentioned grievance.
4. Dates, timings, transcript of the meetings and its participants where the mentioned grievance was discussed by the [illegible] of aforementioned authority.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. Description of each step taken by the Deputy Secretary to redress the mentioned grievence of the applicant.
6. Current status of the mentioned grievance.
7. Name, designation, contact number and ddress of the Appellate Authority, if unsatisfied with the decision of the Deputy Secretary regarding the said grievacne.

प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक न्याय/ए.खि./2023/417 दिनांक 22.03.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है और प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई है:

उपुर्यक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्न लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर), श्रीगंगानगर के पत्रांक 2929—31 दिनांक 27.10.2022 के संलग्न प्रार्थी विनयदीप सिंह के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचनाओं का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:

क्र.स.	चाही गई सूचना	प्रत्युत्तर
a	Grievance registration number (issued on state level) and acknowledgement letter issued by the Deputy Secretary regarding the above mentioned grievance.	श्रीमान् जी बिन्दु में अंकित PMO/PG/D/2021/0237778 सहायक निदेशक, लोक सेवायें, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्रांक 1244 दिनांक 09.12.2021 द्वारा (राजस्थान सम्पर्क पद दर्ज प्रकरण संख्या 102107811199952) चाहे जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 289 दिनांक 16.02.2022को भिजवाया जा चुका है। (छायाप्रति संलग्न)
b	Orders issued by the aforesaid authority in his purview to investigate the mentioned grievance.	इस अनुभाग से सम्बन्धित नहीं है।
c	Reports of the investigation carried out by the Deputy Secretary in regard to the mentioned grievance.	इस अनुभाग से सम्बन्धित नहीं है।
e	Description of each step taken by the Deputy Secretary to redress the mentioned grievence of the applicant.	इस अनुभाग से सम्बन्धित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

f	Current status of the mentioned grievance.	राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण संख्या 102107811199952 की वर्तमान स्थिति संलग्न है।
d	Dates, timings, transcript of the meetings and its participants where the mentioned grievance was discussed by the office of aforementioned authority.	सूचना का अधिकार अधिनियम की धरा 2एफ के अनुसार सूचना यही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो और अधिनियम की धारा 2एफ के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा में किसी प्रकार का आदेश, हिदायत, निर्देश जारी नहीं किये जा सकते और किसी भी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश भी नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान की जा सकती है।
g	Name. designation, contact number and ddress of the Appellate Authority, if unsatisfied with the decision of the Deputy Secretary regarding the said grievacne.	

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

-sd-
प्रभारी अधिकारी,
न्याय शाखा,
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही कोई व्याख्या कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसलिए प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलाथी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:19 IST
Reason: SelfAttested